राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दांडिक विविध याचिका संख्या 1313/2012

इमामुद्दीन उर्फ मम्मू खां बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

दिनांक - 30.4.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री जे.पी.गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता
मय सुश्री मनीषा सुराना, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री प्रदीप श्रीमाल, लोक अभियोजक।

प्रार्थी की ओर से यह दांडिक विविध याचिका अन्तर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से यह प्रार्थना की गयी है कि इस न्यायालय द्वारा एकलपीठ दांडिक विविध याचिका संख्या 2520/2011 में पारित आदेश दिनांक 19.9.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुसंधान अधिकारी को पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे व दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेते हुए रिपोर्ट संबंधित दण्डनायक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जावे।

मैनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। उक्त आदेश दिनांक 19.9.2011 का अवलोकन किया। उक्त आदेश के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि यदि प्रार्थी द्वारा उनके समक्ष पक्षकारों के मध्य हुआ कोई राजीनामा प्रस्तुत किया जाता है तो वह ऐसे राजीनामे के आधार पर प्रकरण में अनुसंधान करेगा तथा अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। न्यायहित में पुन: अनुसंधान अधिकारी को इसी प्रकार के निर्देश दिये जाते हैं कि यदि मामले में चालान पेश नहीं हुआ हो तो प्रार्थी जो दस्तावेज प्रस्तुत करे उन्हें अनुसंधान अधिकारी ग्रहण करे एवं पूर्व में पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक विविध याचिका का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed”

Suresh Kumar Sharma

P.S.